

कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा, जिला बेमेतरा छ.ग.

ज्ञापन

क्रमांक / प्र-3 / भू-अर्जन / 2023

साजा, दिनांक / / 2023

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, बेमेतरा
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

विषय :- भू-अर्जन, पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2016 अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन बाबत्।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बेमेतरा के कार्यक्षेत्र अंतर्गत निर्मित चारभाठा जलाशय, ग्राम पर्थर्कला के सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट प्रकाशन हेतु संलग्न कर भेजा जा रहा है। अतः सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट एन.आई.सी. के वेबसाइट में अपलोड कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित किया जावे।

सहपत्र :- सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट।

भू-अर्जन अधिकारी
एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
साजा

क्रमांक / ६०८ / प्र-3 / भू-अर्जन / 2023

साजा, दिनांक ११ / ५ / 2023

प्रतिलिपि :-

- कलेक्टर एवं जिला भू-अर्जन अधिकारी, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- एन.आई.सी. बेमेतरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- तहसीलदार साजा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग साजा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र :- सामाजिक समाधात निर्धारण
शूच्य।
रिपोर्ट प्रकाशन हैनु।

भू-अर्जन अधिकारी
एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
साजा

भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (धारा-7) के तहत विशेषज्ञ द्वारा (सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन) के उपबंधो के अनुसार समाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन दर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अध्ययन पश्चात् अभिमत निम्नानुसार :-

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार चारभाठा जलाशय योजना के नहर में प्रभावित भूमि जो कि, ग्राम पथरीकला, प.ह.नं. 24, रा.नि.मं. पर्णी, तहसील ६००५८ के कुल 35 कृषक के 43 खसरा नम्बर से 2.200 हेक्टेयर भूमि का भूमि अर्जन सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जाना आवश्यक है।

1. क्या प्रस्तावित भू-अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।

सामाजिक समाधात निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित अर्जन से लोक परियोजन पूरा होता है।

अभिमत – उपरोक्त कथन से सहमत है।

2. प्रभावित परिवार तथा विस्थापित परिवार संख्या।

सामाजिक समाधात निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पथरीकला, प.ह.नं. 24, में प्रस्तावित 2.200 हेक्टेयर निजी भूमि से किसी भी कुटुम्ब की विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अभिमत – उपरोक्त कथन से सहमत है।

3. सार्वजनिक भूमि निजी भूमि, मकान अन्य परिसम्पत्तियों का ब्योरा जो प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित हो रहा है।

सामाजिक समाधात निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित अर्जन में ग्राम पथरीकला, प.ह.नं. 24 में प्रस्तावित 2.200 हेक्टेयर निजी भूमि अर्जित किया जा रहा है। सार्वजनिक भूमि, मकान, अन्य परिसम्पत्तियां प्रभावित नहीं हो रही हैं।

अभिमत – उपरोक्त कथन से सहमत है।

4. क्या प्रस्तावित भू-अर्जन न्यूनतम सीमा में है।

सामाजिक समाधात निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि अर्जन के लिये प्रस्तावित परियोजना की सीमा उस परियोजना लिये यथात् सीमा तक ही है।

अभिमत – उपरोक्त कथन से सहमत है।

5. क्या परियोजना के वैकल्पिक स्थान उपलब्ध है।
सामाजिक समाधात निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि पर पूर्व से ही योजना निर्भित किया जा चुका है। आवेदक के मांग पर लंबित भूमि का मुआवजा भुगतान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रीयाधीन है।

अभिमत – उपरोक्त कथन से सहमत है।

6. प्रस्तावित भूमि अर्जन से निस्तार की सुविधाओं पर प्रभाव।
सामाजिक समाधात निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित भू-अर्जन से निस्तार की सुविधाओं में किसी प्रकार कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अभिमत – उपरोक्त कथन से सहमत है।


7. अध्ययन टीम के द्वारा समाधात के प्रतिपूर्ति के लिये सामाजिक समाधात प्रबंध योजना का निर्माण भी किया जावे।

सामाजिक समाधात निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

चूंकि चारभाठा जलाशय योजना के नहर से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है अतः समाधात के प्रतिपूर्ति के लिये किसी प्रकार की प्रबंध योजना की आवश्यकता नहीं है।

अभिमत – उपरोक्त कथन से सहमत है।

1. श्री टी.आर. देवांगन (सेवानिवृत्त प्राचार्य) गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक।
2. श्री नारद वर्मा जनपद सदरपद क्षेत्र क्र. 23।
3. श्री लाला वर्मा सरपंच ग्राम पंचायत पथरीखुर्द।
4. श्री ए.के. इंगोले, सेवानिवृत्त एस.डी.ओ. पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ।
5. श्री माधोराम साहू, (सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार) पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ।
6. श्री चन्द्रशेखर शिवहरे, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग बेमेतरा।
7. तहसीलदार / नायब तहसीलदार, तहसील-साजा।



(१) नं
जनपद सदरपद
सेवा क्षमाक्र. 23, लाला वर्मा, साजा
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

(२) नं
(A.E. Refd)
(A.E. Refd)

टी.ए.र. देवांगन
देवांगन, एस.डी.ओ. सेवानिवृत्त प्राचार्य
सामाजिक समाधात (छ.ग.)

Executive Engineer
Water Resources Division
Bemeta, Distt. Bemeta (C.G.)

(३) नं
T.R. Devangn (P.I.D.)
(R. P. Devangn)

प्रारूप-तीन
सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन
(नियम 23 देखिये)

1. परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण :-

(क) कुल जनसंख्या	(एक) पुरुष ५२४	(दो) महिला ५७३
(ख) बच्चों की संख्या	(एक) पुरुष	(दो) महिला
(ग) जातिवार जनसंख्या	(एक) अ.ज.जा. २०	(दो) ज.जा.
	(तीन) अ.पि.व.	(चार) अन्य
(घ) धर्मवार जनसंख्या	(एक) हिन्दू ४९८	(दो) मुस्लिम
	(तीन) सिक्ख	(चार) ईसाई
	(पांच) बौद्ध	(छ.) अन्य

2. गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या ५६

3. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या ०९

4. निराश्रित पेंशनरों की संख्या २२

5. निरक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या

6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन

7. प्रशासनिक संगठन

8. राजनीतिक संगठन

9. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य

10. भूमि का उपयोग – (एक) कृषि भूमि
(दो) पड़त भूमि
(तीन) सिंचित एक फसली भूमि
(चार) सिंचित दुफसली भूमि
(पांच) असिंचित भूमि

11. जोत का आकार – (एक) लघु कृषकों की संख्या
(दो) सीमांत कृषकों की संख्या
(तीन) कुल खातों की रांख्या
(चार) भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या
(पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या
(तीन वर्ष यो उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक रो दी जाये)

[Signature]
जनपद राज्य
रोड नम्बर २३, जलंधर, राजस्थान
(पिलानी वेस्ट, २०१५)

- पशुधन - (एक) पशुधन की संख्या
 (दो) दुधारू पशुधन की संख्या
- प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार 34
- पलायन 14.
- रोजगार में महिलाओं की भागीदारी 15. 429
- खाद्य सुरक्षा 16.
- अन्य स्थानीय रोजगार 17. 204
- मजदूरी दर 18.
- ऋण तक पहुँच 19.
- परिवहन एवं सड़क 20.
- सिंचाई 21. 31km
- बाजार तक पहुँच 22.
- पर्यटन स्थल 23.
- सहकारी संरक्षण 24.
- रहन-सहन 25.
- (एक) धारणाएं, सौंदर्यपक्तता मोह एवं अभिलाषा
- (दो) गृह
- (तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान
- (चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल
- (पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सिवरेज सिस्टम इत्यादि)
- (छ:) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि)
- (सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा।

महत्वपूर्ण समाधात क्षेत्र

- भूमि, जीविका और आय पर समाधात :-
 - रोजगार के स्तर और प्रकार
 - अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके
 - आय के स्तर
 - खाद्य सुरक्षा
 - जीवन निर्वाह का स्तर
 - उत्पादक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण
 - जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुँच
- भौतिक संसाधनों पर समाधात :-
 - प्राकृतिक संसाधनों (यथा भिट्ठी, वायु, जल, चन) पर समाधात
 - जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव
- निजी सम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाधात

112 km
सरपंच
ग्राम पंचायत पथरी खुद
पि.ख.-साजा.गिला-वेमेतरा(छ.ग.)

अनुचिकारी अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग साजा
गिला वेमेतरा (छ.ग.)